



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275584
CG-DL-E-19082026-275584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4381]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948

No. 4381]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2026

का.आ. 4561(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2633(अ) दिनांक 25/05/2026, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 25/05/2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन कॉरीडोर एसबीएन#301 से एलएनसी#225/252 से एलएनसी#69 को जोड़ने के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के गांव- टुंडाली और मंडाली, तहसील - महेसाणा एवं जिला - महेसाणा और गाँव- हरसुंडाल, तहसील- जोटाना, जिला महेसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 08/06/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन कॉरीडोर एलएनसी#225/252 से एलएनसी#69 को जोड़ने के लिए

तालुका: - महेसाणा

जिला- महेसाणा

राज्य- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लॉक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	टुंडाली	180		00	07	45
2		188/001		00	41	57
3		143		00	11	91
4		144		00	05	04
5		145		00	19	22
6		146		00	01	33
7		121		00	11	32
8		611 Asphalted Road		00	01	61
9		156		00	11	73
10		155		00	11	53
11		154		00	00	62
12		159		00	00	67
13		164		00	13	75
14		165		00	00	74
15		163		00	00	94
16		166		00	08	39
17		167		00	07	85
18		614		00	04	53
19		50		00	06	18
20		49		00	06	08

21		45		00	01	33
22		40		00	05	55
23		44		00	02	51
24		41		00	06	34
25		28		00	29	93
26		32		00	10	44
27		33		00	05	20
28		606		00	01	04
29		573		00	12	77
30		574		00	18	60
31		564		00	30	30
32		562		00	05	41
33		561		00	02	70
34		556		00	04	46
35		555		00	05	03
36		553		00	06	80
37	टुंडाली	552		00	04	29
38	टुंडाली	516		00	33	77
39		518		00	19	98
40		551		00	19	17
41		520		00	22	71
42		519		00	11	88
43		69		00	02	24
44		116		00	21	49
45		613		00	01	47
46		162		00	22	92
47		167		00	03	14
48	मंडाली	152/001		00	10	89
49		152/002		00	16	12
50		150		00	03	40
51		149		00	20	96
52		160		00	14	96
53		166		00	00	85
54		168		00	19	39
55		170		00	01	65
56		169		00	12	88
57		448		00	01	26
58		187		00	08	31
59		188		00	09	70
60		190		00	28	12

61		191		00	13	33
तालुका:-जोटाना जिला- महेसाणा राज्य- गुजरात						
62	हरसुंडाल	432		00	33	13
63		433		00	08	16
64		434		00	16	65
65		436		00	02	75
		कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में		70644		

[फा. सं. इएक्सपीएल -13011(26)/28/2025-इएक्सपीएल-पी एन जी (ई-53251)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2026

S.O. 4561(E) .— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No2633 (E) Dated 25/05/2026 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 25/05/2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying PIPELINE CORRIDOR FROM LNC#225/252 TO LNC#69 in Tundali & Mandali village, Tal-Mehsana & Dist- Mehsana and Harsundal village, Ta-Jotana, Dist- Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 08/06/2026.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPELINE CORRIDOR FOR LNC#225/252 TO LNC#69

TALUKA: - MEHSANA

DISTRICT:-MEHSANA

STATE:-GUJARAT

Name of village		Survey No./ Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Tundali	180		00	07	45
2		188/001		00	41	57
3		143		00	11	91
4		144		00	05	04
5		145		00	19	22
6		146		00	01	33
7		121		00	11	32
8		611 Asphalted Road		00	01	61
9		156		00	11	73
10		155		00	11	53
11		154		00	00	62
12		159		00	00	67
13		164		00	13	75
14		165		00	00	74
15		163		00	00	94
16		166		00	08	39
17		167		00	07	85
18		614		00	04	53
19		50		00	06	18
20		49		00	06	08
21		45		00	01	33
22		40		00	05	55
23		44		00	02	51
24		41		00	06	34
25		28		00	29	93
26		32		00	10	44
27		33		00	05	20
28		606		00	01	04
29		573		00	12	77
30		574		00	18	60
31		564		00	30	30
32		562		00	05	41
33		561		00	02	70
34		556		00	04	46
35		555		00	05	03
36		553		00	06	80
37		552		00	04	29
38		516		00	33	77

39		518		00	19	98
40	Tundali	551		00	19	17
41		520		00	22	71
42		519		00	11	88
43		69		00	02	24
44		116		00	21	49
45		613		00	01	47
46		162		00	22	92
47		167		00	03	14
48		Mandali	152/001		00	10
49	152/002			00	16	12
50	150			00	03	40
51	149			00	20	96
52	160			00	14	96
53	166			00	00	85
54	168			00	19	39
55	170			00	01	65
56	169			00	12	88
57	448			00	01	26
58	187			00	08	31
59	188			00	09	70
60	190			00	28	12
61	191			00	13	33
TALUKA: - JOTANA DIST-MEHSANA STATE- GUJARAT						
62	Harsundal	432		00	33	13
63		433		00	08	16
64		434		00	16	65
65		436		00	02	75
		Total Area in sqm		70644		

[F. No. Expl-13011(26)/28/2025-EXPL-PNG (E-53251)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.